

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 60,000/- (साठ हजार रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,10,000/- (दो लाख दस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	जिला/कार्यकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० राधा कुमारी, 22, पासवान पप्पू बंदी, अनुसूचित जाति	पासवान पप्पू बंदी, (पति)	414, 08.04.2026 32, 10.01.2026	ग्रा०+पो०-गौड़ी, धा०+प्र०-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, 9987770780	177900 010021 5162	PNB, PUNBO 177900	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
02	स्व० जयकल देवी, 54, विनोद पासवान, अनुसूचित जाति	विनोद पासवान, (पति)	615, 14.05.2026 1546, 20.11.2025	ग्रा०-बरियारपुर, पो०-डुमरा, थाना-सीतामढ़ी, प्रखण्ड-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी, मो०-9065858286	5777101 1000977 2	BOI, BKID00 05777	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
03	स्व० बची देवी, 43, शनिचर मांझी, अनुसूचित जाति	शनिचर मांझी, (पति)	615, 14.05.2026 1556, 20.11.2025	ग्रा०-बुलाकीपुर, पो०-पोखरभिड़ा, थाना+प्रखण्ड-रीगा, जिला-सीतामढ़ी, मो०-9009789682	4440182 1000103 4	BOI, BKID00 04440	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
04	स्व० शैल देवी, 30, विनोद बैठा, अनुसूचित जाति	विनोद बैठा, (पति)	615, 14.05.2026 1590, 01.12.2025	ग्रा०+पो०-पचनौर, थाना+प्रखण्ड-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी, मो०-9934042673	3145053 6402	SBI, SBIN00 04654	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कपड़ा धुलाई एवं प्रेस करने का कार्य
05	स्व० किरण देवी, 62, सोनफी बैठा, अनुसूचित जाति	सोनफी बैठा, (पति)	615, 14.05.2026 1646, 13.12.2025	ग्रा०-मलमला, पो०-बधारी, थाना+प्रखण्ड-रुन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी, मो०-8651278327	3616450 2292	SBI, SBIN00 12563	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बकरी पालन का कार्य

कुल:- रु० 2,10,000/-

(दो लाख दस हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

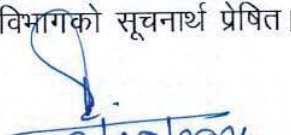
ह०/-

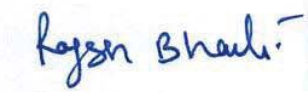
(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-70/2025(अंश-ख)-1०४१ पटना, दिनांक :- 19.../०४./2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,10,000/- (दो लाख दस हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


17/08/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक